रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 627] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 2015/चैत्र 3, 1937
No. 627] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 2015 /CHAITRA 3, 1937

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2015

का.आ. 821(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा ''केरल टोड्डी वर्कर कल्याण निधि बोर्ड'' केरल टोड्डी वर्कर कल्याण निधि अधिनियम, 1969 (1969 का 22 अधिनियम) के तहत गठित बोर्ड को उक्त बोर्ड को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(क) 'केरल टोड्डी वर्कर' कल्याण निधि अधिनियम, 1969 के तहत प्राप्त राशि;

(ख) केरल टोड्डी वर्कर 'कल्याण निधि अधिनियम' 1969 की धारा 2 (घ) के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित सदस्यों से अंशदान;

(ग) बैंकों में जमाओं से अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए लागू होगी।

3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी, अर्थात् केरल टोड्डी वर्कर 'कल्याण निधि बोर्ड:-

(क) कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करेगा।

(ख) इसके कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तनीय रहते हैं; और

(ग) अपनी आय की विवरणी उक्त अधिनियम, धारा 139 की उपधारा (4 ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करता है।

[अधिसूचना संख्या 26/2015/फा.सं. 196/08/2014-आईटीए-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2015

S.O.821(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, "Kerala Toddy Workers' Welfare Fund Board", a Board established under the Kerala Toddy Workers' Welfare Fund Act, 1969 (Kerala Act No. 22 of 1969), in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-

(a) sums received under Kerala Toddy Workers' Welfare Fund Act, 1969 (Kerala Act No. 22 of 1969);
(b) contribution from the members as defined in clause (b) of section 2 of the Kerala Toddy Workers' Welfare Fund Act, 1969 (Kerala Act No. 22 of 1969);
(c) interest earned from deposits in banks.

2. This notification shall be applicable for the financial years 2013-14 to 2017-18.

3. The notification shall be effective subject to the conditions that Kerala Toddy Workers' Welfare Fund Board-

(a) shall not engage in any commercial activity;
(b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and
(c) it files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) section 139 of the said Act.

[Notification No. 26 /2015/F.No.196/08/2014-ITA-I]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2015

का.आ. 822(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "पश्चिम बंगाल परिवहन वर्कर सामाजिक सुरक्षा योजना" पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित पश्चिम बंगाल राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को उक्त बोर्ड की उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(क) सरकारी अनुदानों के रूप में प्राप्त राशि;

(ख) पश्चिम बंगाल मोटर परिवहन वर्कर कल्याण उपकर अधिनियम,

2010 (पश्चिम बंगाल अधिनियम 200 का V) और

इसके तहत बनाए नियमों के अंतर्गत उपकर के रूप में प्राप्त राशि;

(ग) पंजीकृत लाभार्थियों द्वारा अदा पंजीकरण फीस और नवीकरण फीस के रूप में

प्राप्त राशि; और

(घ) मियादी जमा पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए लागू होगी।

3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी, कि पश्चिम बंगाल राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की "पश्चिम बंगाल परिवहन वर्कर, सामाजिक सुरक्षा योजना":-

(क) कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करेगा;

(ख) इसके कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तनीय रहते हैं;

(ग) अपनी आय की विवरणी उक्त अधिनियम, की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करता है।

[अधिसूचना संख्या 31 /2015/ फा. सं. 196/21/2014 आई टी.ए.- I]

दीप शिखा शर्मा, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2015

S.O. 822(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, "West Bengal Transport Workers' Social Security Scheme" of West Bengal State Social Security Board established by Government of West Bengal, in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-

(a) amount received in the form of Government grants;
(b) amount received as cess under the West Bengal Motor Transport Workers' Welfare Cess Act, 2010 (West Bengal Act V of 2010) and rules framed thereunder;
(c) amount received as registration fees and renewal fees paid by the registered beneficiaries; and
(d) interest earned on fixed deposits.

2. This notification shall be applicable for the financial years 2014-15 to 2018-19.

3. The notification shall be effective subject to the conditions that the "West Bengal Transport Workers' Social Security Scheme" of West Bengal State Social Security Board -

(a) does not engage in any commercial activity;
(b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and
(c) it files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the said Act.

[Notification No. 31/2015/F.No.196/21/2014-ITA-I]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2015

का.आ. 823(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, 'बिहार विद्युत विनियामक आयोग' बिहार सरकार द्वारा गठित आयोग को उक्त आयोग को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात:-

(क) सरकारी अनुदानों के रूप में प्राप्त राशि;
(ख) विद्युत में लाइसेंसधारी से लाइसेंस फीस के रूप में प्राप्त राशि;
(ग) एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस के रूप में प्राप्त राशि; और
(घ) सरकारी अनुदानों पर अर्जित ब्याज और प्राप्त फीस ।

2. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए लागू होगी ।

3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी; कि बिहार, विद्युत विनियामक आयोग:-

(क) कोई भी वाणिज्यक कार्यकलाप नहीं करता है;
(ख) इसके कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तनीय रहते हैं; और
(ग) अपनी आय की विवरणी उक्त अधिनियम, की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करता है।

[अधिसूचना सं. 28/2015/फा. सं. 196/41/2013-आयकर नि-I]

दीपशिखा शर्मा , निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2015

S.O.823(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, "Bihar Electricity Regulatory Commission", a Commission constituted by the Government of Bihar in respect of the following specified income arising to that Commission, namely:—

(a) amount received in the form of Government grants;
(b) amount received as licence fee from licensees in electricity;
(c) amount received as application processing fee; and
(d) interest earned on Government grants and fee received;

2. This notification shall be applicable for the financial years 2011-12 to 2015-16.

3. The notification shall be effective subject to the conditions that the Bihar Electricity Regulatory Commission-

(a) does not engage in any commercial activity;
(b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and
(c) it files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the said Act.

[Notification No. 28/2015/F.No.196/41/2013-ITA-I]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2015

का.आ. 824(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "गोवा राज्य व संघ राज्य–क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग" भारत सरकार द्वारा गठित आयोग को उक्त आयोग को उद्भूत होने वाली निम्न विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है अर्थात्:-

(क) याचिका फीस;
(ख) लाइसेंस फीस;
(ग) बैंकों में जमाओं से अर्जित।

2. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए लागू होगी।

3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी, कि गोवा राज्य व संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग:-

(क) कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करेगा;
(ख) इसके कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूव संपूर्ण वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तनीय रहते हैं; और
(ग) अपनी आय की विवरणी उक्त अधिनियम, की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खण्ड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करता है।

[अधिसूचना संख्या 27/2015/ फा. सं. 196/41/2012 आई टी.ए.- I]

दीपाशिखा शर्मा, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2015

S.O. 824(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the "Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories", a Commission constituted by the Government of India, in respect of the following specified income arising to that Commission, namely:-

(a) petition fees;
(b) licence fees;
(c) interest earned from deposits in banks.

2. This notification shall be applicable for the financial years 2011-12 to 2015-16.

3. The notification shall be effective subject to the conditions that the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories.

(a) does not engage in any commercial activity;
(b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and
(c) it files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the said Act.

[Notification No. 27/2015/F.No.196/41/2012-ITA-I]

DEEPSHIKHA SHARMA,Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2015

का.आ. 825(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा ''छत्तीसगढ़ बिल्डिंग और अन्य निर्माण वर्कर कल्याण बोर्ड'', छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित बोर्ड को उक्त बोर्ड को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है; अर्थात्:-

(क) वर्कर कल्याण उपकर;
(ख) ब्याज आय; और
(ग) पंजीकरण फीस

2. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए लागू होगी।

3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होंगी, कि 'छत्तीसगढ़ बिल्डिंग और अन्य निर्माण वर्कर कल्याण बोर्ड:-

(क) कोई भी वाणिज्यक कार्यकलाप नहीं करेगा;
(ख) इसके कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तनीय रहते हैं; और
(ग) अपनी आय की विवरणी उक्त अधिनियम, की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अुनसार दायर करता है।

[अधिसूचना संख्या 30 /2015/ फा.सं. 196/06/2014 आई टी.ए.-I]

दीपाशिखा शर्मा, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2015

S.O.825(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, "Chhattisgarh Building and Other Construction Workers' Welfare Board", a Board constituted by the Government of Chhattisgarh in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-

(a) workers welfare cess;
(b) interest income; and
(c) registration fee.

2. This notification shall be applicable for the financial years 2013-14 to 2017-18.

3. The notification shall be effective subject to the conditions that Chhattisgarh Building and Other Construction Workers' Welfare Board.

(a) does not engage in any commercial activity;
(b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and
(c) It files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of Section 139 of the said Act.

[Notification No. 30/2015/F.No.196/06/2014-ITA-I]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2015

का.आ. 826(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा महाराष्ट्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, महाराष्ट्र सरकार द्वारा सृजित निकाय, को उक्त सोसायटी को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के सबंध में उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है; अर्थात्:-

"केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि"।

2. इस अधिसूचना को वित्त वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए लागू माना जाएगा और वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-16 के संबंध में लागू होगी ।

3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी, अर्थात्:-

(क) महाराष्ट्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी किसी वाणिज्यिक गतिविधियों में शामिल नहीं होती है ;

(ख) महाराष्ट्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी की विनिर्दिष्ट आय की गतिविधियां और प्रकृति पूरे वित्त वर्ष में अपरिवर्तित रहती है ; और

(ग) महाराष्ट्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंधों के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करती है ।

4. उक्त सोसायटी द्वारा प्राप्त अनुदान को प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार प्राप्त और प्रयोग किया जाएगा ।

[अधिसूचना संख्या 29/2015/ फा. सं. 196/74/2012 – आयकर निर्धारण-I]

दीपाशिखा शर्मा,निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2015

S.O.826(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the Maharashtra State AIDS control Society a body constituted by the Government of Maharashtra in respect of the following specified income arising to that society, namely:-

"Amount received in the form of grants-in-aid from the Central Government".

2. This notification shall be deemed to have been applied for the financial years 2011-2012, 2012-2013 and 2013-14 and shall be applicable for the financial Years 2014-2015 and 2015-2016.

3. The notification shall be effective subject to the following conditions, namely:-

(a) the Maharashtra State AIDS Control Society does not engage in any commercial activity;
(b) the activities and the nature of the specified income of the Maharashtra State AIDS Control Society remain unchanged throughout the financial years; and
(c) the Maharashtra State AIDS Control Society files return of income in accordance with the provisions of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

4. The grants received by the said Society shall be received and applied in accordance with the prevailing rules and regulations.

[Notification No. 29/2015/F. No. 196/74/2012-ITA-I]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.